प्रेषक

संख्या : 839 /66–2004

श्रीमती नीरा यादव,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ / गाजियाबाद / सहारनपुर / मुरादाबाद /
बरेली / लखनऊ / फैजाबाद / गोरखपुर /
वाराणसी / इलाहाबाद / कानपुर / झाँसी /
बांदा एवं अन्य विकास प्राधिकरण वाले जिले।

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग

लखनऊ : दिनाँक : 11 जून, 2004

विषय समग्र ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत चयनित ऐसे गाँव जो विकास प्राधिकरणों की सीमा में आ गये हों या उसमें स्थित हों, के संतृप्त करने में विकास प्राधिकरण के संसाधनों का एकस्थ (converge) किया जाना।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1996 / 66–2003 दिनाँक 9 दिसम्बर, 2003 से पठित शासनादेश संख्या 177 / 66–2004 दिनाँक 24 जनवरी, 2004 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। इसमें समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में उपलब्ध संसाधनों को एकस्थ (converge) करके कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

2– समग्र ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत चयनित जो गांव विकास प्राधिकरणों की सीमा में स्थित हो गये हों, उनमें विकास प्राधिकरणों के संसाधनों को इनके समुचित विकास हेतु एकस्थ (converge) किया जाय।

3– समग्र ग्राम्य विकास योजना के 15 सूत्रीय कार्यक्रमों में कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो विकास प्राधिकरण की परिसीमा में संचालित न हो रहे हों और ऐसे कोई चयनित गाँव विकास के लिए रह न जाय, यह आवश्यक है कि इस प्रकार के जो भी गाँव किसी भी विकास प्राधिकरण में हो, उनको संतृप्त करने के लिए विकास प्राधिकरणों के संसाधनों को एकस्थ (converge) करके इस योजना में सम्मिलित करते हुए कार्यवाही की जाय।

4– अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समग्र ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत चयनित ऐसे गांव जो विकास प्राधिकरणों की सीमा में हों, उनको संतृप्त करने के लिए सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के संसाधनों को एकस्थ (converge) करके चयनित गांव को संतृप्त कराया जाय।

भवदीया,

(नीरा यादव)
कृषि उत्पादन आयुक्त

अगले पेज हेतु क्लिक करें

पृ0सं0 : 835 /66–2004, तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष /सचिव को उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु।

6/11/04

(दया शंकर)
विशेष सचिव।

Top